न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ....अरनोद.........

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.18	पत्रावली पेश हुयी। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् उपस्थित आये। प्रार्थनापत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया जिसमें स्पष्ट तौर पर प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की आराजीयात् से लगती हुयी सरकारी जमीन में बने कदीमी रास्ते जिसको अप्रार्थीगण ने बन्द कर दिया है को खुलवाने जाने की राहत/अनुतोष चाहा है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधि० की धारा- 251क में स्पष्ट प्रावधान है कि - " अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाइन बिछाना/ नया मार्ग खोलना / विद्यमान मार्ग का विस्तार करना ...." प्रार्थी ने ख. नं. 40, 139/45 एवं 46 किस्म कंकरोट जो कि राजकीय भूमि है से कदीमी रास्ते को खुलवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष R.T. Act Sec. 251A में कवर नहीं होने से न्यायालय का समय जाया करना है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र इसी स्टेज ~~स्टे~~ पर खारिज किया जाना उचित है। प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि उक्त [signature] क्रमशः...	

अभिभाषक का नाम

अभिभाषक का नाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ....अरनोद.......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामील
	सरकारी काराजीयात की मौका जॉन्च कर आर.टी. एक्ट / एल.आर एक्ट की सक्षम धाराओं के अध्यधीन कार्यवाही कर न्यायालय हाजा को 25 दिवस में अवगत करवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

सेवामें,